राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिल, 2009
संक्षिप्तीकरण

" सभी के लिए स्वास्थ्य " के वृहद लक्ष्य को हासिल करने तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकार को सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिल,2009 का मसौदा तैयार कर उसे चर्चा के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस बिल का संक्षिप्त ब्यौरा यहाँ प्रस्तुत है। इस संदर्भ में हमारी यह जिम्मेवारी होगी कि हम इस बिल के मसौदे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से चर्चा कर इसको व्यापकता व संपूर्णता देने हेतु अनुशंसाएं करें ताकि " सभी के लिए स्वास्थ्य " का सपना कानूनी व संवैधानिक वैधता हासिल कर सके।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिल, 2009 को आठ भागों या अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसके प्रारंभ में प्रस्तावना तथा अंत में तीन विभिन्न अनुसूचियाँ भी दी गई हैं।

प्रस्तावना :–

इसकी प्रस्तवना यह कहती है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिल, 2009 उन अधिकारों की रक्षा व उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगा जो स्वास्थ्य तथा कल्याण से संबद्ध है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समता तथा न्याय से संलग्न हैं साथ ही जो स्वास्थ्य के व स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्निहित कारकों से भी संबद्ध है । यह बिल सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने तथा उससे सम्बद्ध विषयों व संलग्न क्षेत्रों के अधिकारों की रक्षा व उनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करायेगा।

यह बिल मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करें तथा सम्मान के साथ जीवन यापन करे। यह मानता है कि स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है जिसके कि अन्य मानव अधिकारों से गहरे सहसंबन्ध हैं।

स्वास्थ्य का अधिकार एक व्यापक स्तर का अधिकार है जो केवल एक समय या अवस्था विशेष अथवा औचित्यपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस अधिकार का संबंध स्वास्थ्य के सामाजिक–आर्थिक , सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों से है।

यह सतत असमानताओं तथा देश में स्वास्थ्य से संबंध मसलों के नकार व उल्लंघनों को भी अपने दायरे में लेता है।

सभी के लिए स्वास्थ्य के सपने को साकार करने के लिए यह बिल इस बात को आवश्यक मानता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के समस्त प्रदाता तथा समुदाय/नागर समाज स्वास्थ्य नीतियों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन में अपनी–अपनी भूमिकाओं का उचित रूप से निर्वहन करें।

यह बिल एक व्यापक कानूनी दायरे के निर्धारण की वकालत करता है ताकि आवश्यक जन स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेवारियों का निर्वहन किया जा सके तथा इस हेतु राज्य व स्थानीय स्वास्थ्य निकाय अपनी कर्तव्यपूर्ण भूमिका महसूस करें। इसके लिए अन्य विभागों के साथ बेहतर सामंजस्य तो बने ही साथ ही केंद्र व राज्य के बीच भी व्यवहारिक समन्वय स्थापित हो पाए।

इसके साथ–साथ एक ऐसे व्यापक कानूनी दायरे तथा साझा मानकों व मूल्यों की भी आवश्यकता है जिनको आधार बनाकर सरकार निजी स्वास्थ्य क्षेत्रों के साथ सहभागिता कर सके। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े हुए वर्तमान व भविष्य के कानूनों का क्रियान्वयन केंद्र व राज्य के मध्य बेहतर तालमेल के साथ सुनिश्चित करवा सके।

प्रस्तावना में प्रमुख रूप से यह माना गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की रक्षा व उपलब्धता की जवाबदेही के प्रति सचेत रहे जिसमें कोई विभेदन न हो तथा स्वास्थ्य अन्य मौलिक अधिकारों के समान ही दर्जा पा सके। साथ ही यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी समान स्तर का स्थान पा सकें।

इसमें यह भी कहा गया है कि भारत सरकार ने समय–समय पर जिन अंतर्राष्ट्रीय संधियों ,समझौतों व घोषणापत्रों पर दस्तखत किए हैं जो कि स्वास्थ्य के मसलों से संबद्ध हैं, उनके विषय में सरकार गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन के ठोस कदम उठाए। इन संधियों व घोषणापत्रों के क्रियान्वयन की सुनिश्चितता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के द्वारा संभव कराई जानी चाहिए। इसके साथ–साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वास्थ्य अधिकारों के संदर्भ में दिये गये समय–समय के फैसलों जिनमें स्वास्थ्य के अधिकार को कानूनी वैधता देने पर जोर दिया गया है तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इस संदर्भ की तमाम अनुशंसाओं पर भी विचार किया जाना आवश्यक होगा।

इसके साथ–साथ उन अधिकारों का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करवाना होगा जिनके लिए भारत सरकार कानूनी तौर पर प्रतिबद्ध हैं। इनमें जनसंख्या स्थिरीकरण तथा परिवार नियोजन, मानसिक स्वास्थ्य ,श्रम कल्याण , मातृत्व कल्याण इत्यादि के कानूनी प्रावधान शामिल हैं।

भारत सरकार हालिया कानूनी प्रतिबद्धताओं जो स्वास्थ्य से संबद्ध है के सतत क्रियान्वयन की सुनिश्चितता के प्रति जवाबदेह है। इनमें पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (1987) , 73 व 74 वें संविधान संशोधन (1992) इत्यादि अधिनियम

शामिल हैं । ये सभी अधिनियम '' सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार '' की उपलब्धता हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण में सहायक होंगे।

अध्याय – 1
प्राथमिकी

1. इस बिल के पहले अध्याय में संक्षिप्त शीर्षक तथा विभिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं।

2. इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम को '' स्वास्थ्य अधिनियम– 2008 कहा जाएगा तथा यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।

. इसके साथ–साथ इस अधिनियम से संबद्ध लगभग 45 शब्दों की परिभाषा व व्याख्या इस भाग में की गई है।

अध्याय – 2

स्वास्थ्य के संबद्ध में सरकारों के दायित्व

3. स्वास्थ्य व कल्याण को सतत रूप से प्राप्त करवाने के लिए सरकारों की सामान्य जिम्मेवारियाँ –

इसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार तथा विभिन्न प्रदेशों की सरकारों की निम्नलिखित स्वास्थ्य से संबद्ध सामान्य जिम्मेवारियाँ होंगी जो कि समस्त काल में उपलब्ध स्त्रोतों के माध्यमों से देश के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य व कल्याण का सपना, सतत रूप से साकार करने में सहायक सिद्ध होंगी–

- वैश्विक मानदण्डों के हिसाब से पर्याप्त व सतत रूप से बजट उपलब्ध करवाना। बजट के वितरण में समानता, पारदर्शिता एवं सुनियोजन रखना साथ ही स्वास्थ्य व उससे संबद्ध क्षेत्रों हेतु स्त्रोतों का समान वितरण करना।

- स्वास्थ्य के जैव–चिकित्सीय निर्धारकों के साथ ही सामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों को भी समान रूप से बिना विभेदन के महत्व देना।

- स्वास्थ्य सेवाओं को निःशुल्क सुलभ करवाना तथा इनका लोक व्यापीकरण करवाना इसके साथ– साथ यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायता को नकारा न जाए। यह नकार किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की तरफ से न हो चाहे वह शासकीय हो अथवा निजी।

- स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लिए जाने वाली प्रक्रिया या नीति निर्धारण मे नागर समाज, खासतौर पर वंचित लोगों /समूहों को व्यापक रूप से शामिल करना।

- यह भी सुनिश्चित करना कि आर्थिक ,कृषि ,औद्योगिक ,तकनीकि, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी नितियों के स्वास्थ्य व समानता पर प्रभावों का सतत विश्लेषण हो।

- स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों तथा अन्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों का स्वास्थ्य के परिपेक्ष्य आपस में बेहतर समन्वय बनाना।

- दूसरे देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य संस्थाओं जैसे विकास के सहभागी ,दान–दाता संगठनों व व बहुराष्ट्रीय निगमों से द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों में स्वास्थ्य का अधिकार के परिप्रेक्ष्य में कानूनी जिम्मेवारियों का ध्यान रखना।

4. स्वास्थ्य के आधारभूत निर्धारकों के संदर्भ में प्रमुख जिम्मेवारियाँ –

इन दायित्वों में निम्न जिम्मेवारियों का वर्णन है जो कि स्वास्थ्य के आधारभूत निर्धारकों से संबद्ध हैं–

- आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं, सामग्री, दवाओं व सेवाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध करवाना खासकर संवेदनशील व हाशिए पर पड़े लोगों के लिए।

- आवश्यक भोजन (सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल सुलभ करवाना ।

- सफाई ,शौच निष्काषन की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करवाना साथ ही बेहतर प्रदूषण नियंत्रण तंत्र को बेहतर बनाना एवं पारिस्थितिकी विनाश को नियंत्रित करना।

- मूल आवासीय सुविधाओं को उपलब्ध करवाना तथा लोगों को जबरदस्ती बेदखल किये जाने को रोकना।

- स्वास्थ्य नीतियों, रणनीतियों तथा कार्ययोजनाओं का विभिन्न आधारों जैसे जानपदकीय , सामाजिक तथा पर्यावरणीय स्तरों पर सतत विश्लेषण करना।

इसमें यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जब तक केंद्र सरकार नई नीतियों या योजनाओं को अधिसूचित करती है तब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना (2002), राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व अन्य जारी कार्यक्रमों ,योजनाओं व नीतियाँ जो स्वास्थ्य से संबद्ध हैं वे सभी इस अधिनियम के ही अंतर्गत माने जाएंगें। यद्यपि इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह के भीतर इन नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं पर पुनर्विचार कर इनका पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा।

इस अधिनियम के क्रियाशील होने के 1 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार स्वास्थ्य के आधारभूत निर्धारकों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु राष्ट्रीय रणनीतियाँ तथा कार्ययोजना को अपना कर उन्हें लागू करेगी। इसके आगे की छह माह की अवधि में ऐसी ही प्रक्रिया राज्य स्तरों पर की जाएगी।

इसमें यह भी स्पष्टीकरण संलग्न है कि उपरोक्त दायित्व '' 'प्रमुख'' दायित्वों की श्रेणी में शुमार है अतः इनकी अवमानना नहीं की जा सकती तथा सरकार किसी भी स्थिति इनकी प्रदायता से मुकर नहीं सकती।

5. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायता संबंधी दायित्व –

सरकार के स्वास्थ्य संबंधी दायित्वों में निम्न जिम्मेवारियाँ प्रमुखता से रहेंगीः–

- स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सभी अधिकारों को इस अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित कराना होगा।
- महामारी फैलाने वाले रोगों तथा स्थानिक रोगों की रोकथाम ,उपचार तथा नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय करने होंगें।
- स्वास्थ्य सुरक्षा से संबद्ध सभी पक्षों जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं व प्रक्रियाओं , उपचार के तौर तरीकों ,अधोसंरचना ,उपकरण ,दवाएं ,स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के संदर्भ में सुरक्षा एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु विशिष्ट मानकों का निर्धारण किया जाना जरूरी है । यह सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में आवश्यक होगा। फिलहाल इन मानकों को '' भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों'' के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना होगा लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के छह माह के भीतर पुनर्विवेचना कर नए निर्णय लिए जा सकेंगे।
- स्वास्थ्य के प्रमुख मुददों के संबंध में समुदाय को शिक्षित किया जाना होगा तथा संबंधित सारी सूचनाएं उपलब्ध करवानी होंगी।
- स्वास्थ्य सूचना तंत्रों की स्थापना की जानी होगी।
- स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध लोगों का सतत क्षमतावर्धन।
- महिला स्वास्थ्य में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मिलित करते हुए सुनिश्चित कराना होगा।

- बाल स्वास्थ्य को विभिन्न आयामों सहित सुनिश्चित करवाना।
- सभी संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उपाय करना।
- जन स्वास्थ्य से संबंधित आपातकालीन सुविधाओं की सुनिश्चितता तय करना।
- व्यावसायिक सुरक्षा तथा औद्योगिक स्थानों की शुद्धता के लिए प्रभावी कदम उठाना।

6. **जन स्वास्थ्य के विशिष्ट दायित्वः–**

अ **केंद्र सरकार के दायित्व :–** भारत सरकार निम्न दायित्वों को सुनिश्चित करवाने हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी व नीतिगत निर्णय ले सकती है। इन निर्णयों व नीतियों का निर्धारण भारतीय संविधान के अंतर्गत ही होगा।

- संक्रामक रोगों की रोकथाम व नियंत्रण।
- अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जन स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थितियाँ।
- जन्म व मृत्यु का पंजीकरण व स्वास्थ्य से संबंधित अन्य आंकड़ों का उचित व्यवस्थापन।
- खाद्य सुरक्षा।
- सुरक्षित दवाओं की उपलब्धता तथा दवाओं के व्यावहारिक इस्तेमाल का बढ़ावा देना।
- श्रमिकों की सुरक्षा व कल्याण तथा मातृत्व सहायता।
- सामाजिक सुरक्षा व रोजगार के स्वास्थ्य संबंधी पक्षों पर ध्यान देना।
- जनसंख्या स्थरीकरण व परिवार नियोजन।
- हाशिए पर रह रहे लोगों व संवेदनशील समूहों के लिए विशेष जन स्वास्थ्य संबंधी प्रयास करना।
- राज्य स्तरों पर जनस्वास्थ्य नीतियों व कार्यक्रमों के साथ बेहतर तालमेल बनाना।

ब **राज्य सरकारों के दायित्व –** राज्य सरकारें निम्न दायित्चों की सुनिश्चितता हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी व नीतिगत निर्णय लेंगी। यदि वे आवश्यक समझें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत नये कानूनी प्रावधान भी कर सकती है।

- रोगों के प्रकोप होने पर।
- जन स्वास्थ्य की आपात स्थितियों में।

- स्वास्थ्य संबंधी स्थापनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने वाली हर सुविधा।
- स्वच्छ जल की उपलब्धता।
- स्वच्छता व पर्यावरणीय व्यवस्थापन।
- मेलों, उत्सवों , सिनेमाघरों, सर्कस , बाजारों इत्यादि स्थानों में स्वच्छता का ध्यान रखना।
- पर्यावरणीय सुरक्षा।
- कार्यस्थलों की सुरक्षा तथा औद्योगिक स्थानों पर साफ सफाई।
- सभी नई विकासात्कम परियोजनाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव का आकलन।
- जीवन शैली से संबंधित रोगों जैसे मानसिक रोग,तंबाकू, शराब व अन्य तत्वों से होने वाली बीमारियां इत्यादि की रोकथाम तथा स्वाथ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना।
- सड़क यातायात सुरक्षा।
- वंचित समूहों व अन्य संवेदनशील समूहों व व्यक्तियों के स्वास्थ्य के मुद्दे।
- स्वास्थ्य के अन्य मुद्दे जो शारिरिक , भावनात्मक व मानसिक स्वास्थ्य से संबद्ध हों।

7. **सम्मान सुरक्षा व संपूर्णता के दायित्व –** सरकारें (केंद्र व राज्यों की) उपरोक्त दायित्वों का संतुष्टिदायक निर्वहन निम्नलिखित अंर्तसंबंधित जिम्मेदारियों को पूर्ण कर करेंगी–

- सरकारें प्रत्येक व्यक्ति व समूहों के स्वास्थ्य के अधिकारों के प्रति सम्मान के दायित्व का निर्वहन करेंगी।
- सरकारें इन अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी।
- सरकारें कानूनी, प्रशासनिक, वित्तीय व अन्य उपायों के द्वारा स्वास्थ्य के अधिकार की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने हेतु प्रतिबद्ध रहेंगी।

व्याख्याः– इस संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि केंद्र व राज्य सरकारें उचित कानूनी कदम उठाते हुए यानि कि जहाँ जरूरी हो वहाँ नए कानून बना सकेगी, उपलब्ध कानूनों की पुर्नव्याख्या व संशोधन कर सकेगी (इसी अधिनियम के अंतर्गत) जो स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करेंगें।

अध्याय–3

स्वास्थ्य के संबंधों में सामुहिक एवं व्यक्तिगत अधिकार

8. **स्वास्थ्य का अधिकार :–** प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को व्यवस्थित रखने का अधिकार है ताकि वह सम्मान के साथ अपना जीवन गुजार सके।

9. **अधिकारों की उपलब्धता, उनके उपयोग एवं उनसे खुशियाँ प्राप्त करना :–** प्रत्येक व्यक्ति को सभी सुविधाओं की उपलब्धता व उपयोग का अधिकार है तथा प्रत्येक सामग्री, सेवाओं, कार्यक्रमों से लाभ लेने का भी हक है जो स्वास्थ्य के अधिकार से संबद्ध है तथा जिनमें कम से कम निम्न अधिकार तो मिलना ही चाहिए:

- ➢ भोजन का अधिकार
- ➢ पानी का अधिकार
- ➢ स्वच्छता का अधिकार
- ➢ आवास का अधिकार
- ➢ आवश्यक व सही स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार
- ➢ आवश्यक सूचना शिक्षा व संचार से स्वास्थ्य के अधिकार को समझना। स्वास्थ्य के अधिकार संबंधी सूचनाएँ भी सूचना का अधिकार अधिनियम –05 के अंतर्गत ली जा सकती है।
- ➢ पर्यावरणीय प्राकृतिक आपदाओं व मानव जनित आपदाओं से सुरक्षा का अधिकार।

व्याख्या :—

स्वास्थ्य के अधिकार की उपलब्धता, उपयोग एवं उनसे खुशियाँ प्राप्त करने के लिए जरूरी होगा कि इससे संबद्ध सभी सुविधाएं, सामग्री, सेवाएं, कार्यक्रम इत्यादि की प्रदायता की स्थितियाँ निम्नलिखित हों:—

- पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता
- बिना विभेदन के हर एक तक पहुँच
- चिकित्सकीय नैतिकताओं से पूर्ण हों, सम्मानजनक हों तथा सामाजिक सांस्कृतिक स्तरों पर उपयुक्त हो।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी हर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण व उपयुक्त हो तथा दवाओं व उपकरणों के सही उपयोग जानते हों साथ ही संबद्ध अधोसंरचना भी उपयुक्त हो।

10. **विभेदन के खिलाफ अधिकार —**
सरकारों व अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा आपस में किसी भी प्रकार एवं किसी भी स्तर का विभेदन स्वीकार नहीं होगा। हर स्तर पर समानता की स्थापना हेतु सरकारों द्वारा सतत प्रयास करते रहने होंगे।

11. **सम्मान का अधिकार :—** प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी निजता का अधिकार होगा तथा उसका उपचार सम्मान देते हुए करना होगा। जिसमें किसी भी स्तर के पूर्वाग्रह न हो । यह समूहों / व्यक्तियों, शासकीय व अशासकीय संस्थाओं सभी पर समान रूप से लागू होगा।

12. **सहभागी बनने एवं सूचना प्राप्ति का अधिकार:—** प्रत्येक व्यक्ति को समस्त स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तथा हर स्तर की गतिविधियों से जुड़ने का अधिकार है। यह अधिकार सामूहिक तौर पर भी एवं समुदाय के स्तर पर भी है।

13. **न्याय का अधिकार :—** यदि किसी व्यक्ति या समुदाय के स्वास्थ्य के अधिकार का हनन होता है तो उसे न्याय पाने का अधिकार है। इसके साथ—साथ उसे हर्जाना प्राप्त करने का भी अधिकार है।

14. **उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकार:—**
    - उत्तरजीविता, समग्रता व सुरक्षा के हर स्तर के अधिकार।
    - अन्वेषण का अधिकार :— हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य हेतु उच्चस्तरीय सुविधाओं के अन्वेषण के लिए स्वतंत्र है।
    - ग्रहण करने का अधिकार:— प्रत्येक व्यक्ति को सेवा या सुविधा ग्रहण करने व उनके उपभोग का अधिकार है।
    - आपातकालीन उपचार व सुरक्षा का अधिकार:—
        - प्रजनन एवं यौनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार।
        - गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा का अधिकार
        - व्यावहारिक स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार

- स्वास्थ्य प्रदाता व स्वास्थ्य संस्थान के चयन का अधिकार
- स्वास्थ्य प्रदान करने वाले व्यक्ति के नाम को जानने का हक।
- उच्च स्तर के स्वास्थ्य केंद्र को रैफर किए जाने का अधिकार।
- स्वास्थ्य सुरक्षा की सततता का अधिकार
- उचित चिकित्सकीय उपचार के चयन का अधिकार
- स्वास्थ्य सुरक्षा के मसले में वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकि के विश्लेषण का अधिकार
- अंतिम समय की देखभाल का अधिकार तथा सम्मान के साथ मृत्यु के वरण का भी अधिकार है।
- सूचना का अधिकार
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने चिकित्सकीय रिकार्ड व आँकडों को देखने का अधिकार।
- व्यक्तिगत सहमति, आत्म निर्धारण/स्वायत्ता का भी अधिकार है।
- गोपनीयता , सूचनाओं को जाहिर करने व निजता बनाए रखने का अधिकार।
- स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोगकर्ता के अधिकारों के संबंध में सपष्टता जानने का अधिकार।

➢ स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के कुछ कर्तव्य भी हैं जिनमें प्रमुख हैं:–

- स्वास्थ्य प्रदाता को स्वयं की बीमारी से संबंधित सही–सही जानकारी पूर्णता के साथ उपलब्ध करवाना।
- अपने स्वास्थ्य रिकार्ड को सुरक्षित रखना जो कि उसके पास उपलब्ध हो।
- स्वास्थ्य प्रदाताओं के अधिकारों का ध्यान रखना उन्हें सम्मान देना।
- स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र का सही उपयोग करना अर्थात सभी वर्णित नियमों इत्यादि का उपयोग करते हुए।
- यदि इलाज लेना नकारा गया हो तो डिस्चार्ज सार्टिफिकेट की औपचारिकताएँ पूर्ण करना इत्यादि।

➢ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं व उनका उपयोग करने वालों के अधिकारः–

- स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के दौरान होने वाली क्षति से स्वयं को बचाने हेतु स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के भी अधिकार हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मरीज के हित में अपने संपूर्ण ज्ञान/कौशल के उपयोग हेतु स्वतंत्र है।

- स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अपने मरीजों को सम्मान के साथ इलाज देंगे व मरीजों से भी ऐसी ही अपेक्षा रखेंगे।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को यह अधिकार है कि वह उस स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कराने वाली इकाई या संस्थान का भी आकलन करे जो मरीजों के हित में स्थापित की गई है। यह देखा जाना प्रासंगिक होगा कि वह संस्था क्या हर प्रकार से मरीजों का ध्यान रख पर रही है।
- उस स्वास्थ्य प्रदायी संस्था में किसी प्रकार का विभेदन न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदाता को किसी मरीज के विषय में गोपनीयता उजागर करने के लिए किसी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्था द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता। इत्यादि।

अध्याय 4

क्रियान्वयन एवं निगरानी प्रकिया

17. राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य बोर्डः— ढाँचा व संघटन—

इस बिल में एक राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य बोर्ड बनाने का प्रावधान है जिसमे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सचिव चेयरपर्सन होंगें तथा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को—चेयरपर्सन होंगें । इनके अलावा विभिन्न विभागों के सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के संचालनालय से पांच प्रतिनिधि, राज्य सरकारों से पांच प्रतिनिधि तथा पांच प्रतिनिधि अधिमान्य व्यावसायिक संस्थाओं व काँउसिलों से होंगे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र मे राष्ट्रीय स्तरों पर सक्रिय हों। इनके साथ—साथ पांच विशेषज्ञ प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध लोग होंगे। यह विभिन्न तकनीकि क्षेत्रों के लोग होंगे या जिन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र का ज्ञान हो। इनके अतिरिक्त पांच प्रतिनिधि नागर समाज से होंगे जिनकी स्वास्थ्य से संबद्धताएँ रहीं हों।

इस बोर्ड के सदस्यों की कार्य अवधि (अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को छोड़कर) तीन वर्षों की होगी। यह बोर्ड स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों के मद्देनजर कुछ उपसमितियाँ भी गठित कर सकेगा। इसकी बैठक प्रत्येक छह माह में एक बार अवश्य होगी।

18. कार्य —

यह बोर्ड संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य के अधिकारों के लिए भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करेगा तथा इसकी कार्यशैली विकेंद्रीकृत होगी। इसके प्रमुख कार्य निम्न होंगेः—

- स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीति को तैयार करना, समीक्षा करना तथा उसे अपनाना एवं प्रत्येक पांच वर्षों में उसकी समीक्षा करना।

- सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को तैयार करना, समीक्षा करना तथा उन्हें अपनाना एवं प्रत्येक पांच वर्षों में उनकी पुनः समीक्षा करना।
- प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के निर्धारकों जैसे भोजन, पानी साफ–सफाई व आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियाँ व कार्ययोजना बनाना।
- शासकीय व निजी चिकित्सा सेवा प्रदायकों के मानकों, दिशानिर्देशों, गुणवत्ता के स्तर इत्यादि की निगरानी करना तथा प्रत्येक पांच वर्षों में इनकी समीक्षा करना।
- राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य सेवा नियामक ढाँचे का निर्माण करना ताकि उपरोक्त मानकों, दिशा निर्देशों, मानदण्डों, आधिकारिक विवरणों का पालन सुनिश्चित हो सके तथा इसकी क्रियाशीलता हेतु नियम कायदे तय करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचना तंत्र का निर्धारण कर उसे अपनाना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों की योजना बनाना तथा सूचना, शिक्षा, संचार के कार्यक्रमों का नियोजन करना।

इनके अतिरिक्त और भी कार्य इस बोर्ड के होंगें जो समान महत्व के हैं।

19. राज्य स्वास्थ्य बोर्ड – ढाँचा व संगठन –

इस बोर्ड का गठन प्रत्येक राज्य सरकारों को करना होगा जिसमें राज्य शासन के प्रमुख सचिव इसके चेयरपर्सन होंगें तथा को–चेयरपर्सन के बतौर, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रहेंगे। इसके संयोजक राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त तथा सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दोनों होंगें। इस बोर्ड के सचिव के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त निदेशक रहेंगे। इनके साथ–साथ इस बोर्ड में स्वास्थ्य से संबद्ध विभिन्न विभागों के सचिव या उनके नामित व्यक्ति रहेंगें। इस बोर्ड में पांच सदस्य के तौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों को नामांकित किया जाएगा। साथ ही 8 से 10 सदस्य गैर सरकारी क्षेत्रों से नामांकित किए जाऐंगे। ये लोग जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्वास्थ्य समितियों के प्रतिनिधि अथवा गैर सरकारी संगठनों से हो सकते हैं।

इस बोर्ड के सदस्यों की कार्य अवधि (अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को छोड़कर) तीन वर्षों की होगी। यह बोर्ड स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों के मद्देनजर कुछ उपसमितियाँ भी गठित कर सकेगा। इसकी बैठक प्रत्येक छह माह में एक बार अवश्य होगी।

20. कार्य –

राज्य जन स्वास्थ्य बोर्ड के निम्न कार्य होंगे:–

- राज्य स्वास्थ्य नीति का निर्माण एवं विवेचना करना तथा उसे क्रियान्वयन हेतु अपनाना एवं प्रत्येक पांच वर्षों के उपरांत नीति की पुनः समीक्षा करना।

- पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले व अन्य राज्य स्तरीय स्वास्थ्य लक्ष्यों का चिन्हांकन।

- स्वास्थ्य के विभिन्न निर्धारकों जैसे भोजन, जल, आवास एवं साफ सफाई की सर्वसुलभता को सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बनाना एवं उन्हें क्रियान्वित करवाना।

- स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी जिम्मेदारियों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाना।

- जन स्वास्थ्य तंत्र का समान वितरण करने हेतु मानक व प्रकिया का निर्धारण करना एवं प्रत्येक पांच वर्षो के बाद उनकी समीक्षा करना।

- प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक स्तरों की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व पहुँच को सुगम बनाना।

- राज्य स्तर पर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मसलों को पहचानने, रोगों की रोकथाम करने व आवश्यकताओं को उभारने हेतु राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रम का नियोजन कर कियान्वयन करवाना।

- जन स्वास्थ्य के महत्व की चुनी हुई स्थितियों में नैदानिक व चिकित्सकीय अंकेक्षण करना व रिपोर्ट देना।

- गोपनीय जांच का संस्थागत तंत्र विकसित करना ताकि मृत्यु के पीछे जिम्मेदार कारकों का पता लगा कर उन्हें दुरूस्त किया जा सके।

- स्वास्थ्य सेवाओं के हर आयामों को गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु मानकों का निर्धारण व कियान्वयन करवाना।

- आवश्यक व व्यावहारिक दवाओं की उपलब्धता हर स्तर पर सुनिश्चित करवाना।

- जन स्वास्थ्य हेतु सूचना–शिक्षा–संचार की गतिविधियों का निर्धारण व कियान्वयन।

- स्वास्थ्य से जुड़ी मानव संसाधन विकास योजना का निर्माण व कियान्वयन करवाना।

- हर स्तर के स्वास्थ्य ढाँचे की क्षमता निर्माण हेतु योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करवाना।

- अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ औपचारिक व अनौपचारिक रिश्ते कायम करना।

- पब्लिक –प्राइवेट पार्टनशिप को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को विकसित करना ताकि जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों से समान व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों सकें। इत्यादि।

21. विकेंद्रीकरण तथा जिला, विकासखंड, ग्राम स्तरीय योजनाओं का अभिसरण एवं क्रियान्वयन :–

यह प्रक्रिया राज्य सरकारों को इस अधिनियम के पारित होने के दो वर्षों में करनी होगी जिसमें योजना एवं क्रियान्वयन की प्रणाली विकसित हो सके। यह राज्य से लेकर ग्राम स्तरों तक विकसित की जाना है। इसमे पंचायत राज संस्थाओं की सहायता एवं भागीदारी भी होना है। इसमें ग्राम स्तरों से स्वास्थ्य योजनाओं का स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ कैसे अभिसरण (कन्वर्जेन्स) हो सकता है यह तय करना होगा।

22. इस अभियान के अंतर्गत नियोजन व क्रियान्वयन के विषय –

सभी स्वास्थ्य योजनाऐं/कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय, राज्यों व स्थानीय स्तरों पर क्रियान्वित हैं वे सभी इसी अधिनियम के अंतर्गत निर्देशित रहेंगें।

23. निगरानी की प्रक्रिया –

सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी हेतु निम्न ढाँचों को खड़ा करना होगा।

1. स्वास्थ्य सूचना तन्त्र।
2. सरकारी निगरानी तथा
3. समुदाय आधारित निगरानी

   यह निगरानी का ढाँचा बहुत व्यापक स्तर का होगा जिसमें विस्तार के साथ गुणवत्ता के स्तर को जाँचने का तन्त्र विकसित किया जाना होगा। इस निगरानी ढाँचे का सीधा सम्बन्ध उन निर्णय लेने वाली संस्थाओं से होगा जिनके कि कार्यक्रम अभी जारी हैं और जिनका गठन राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर किया है। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी में समेकित व मानवाधिकारों पर आधारित समझ विकसित करना होगी।

24. स्वास्थ्य सूचना तन्त्र (भ्रै) –

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सूचना तन्त्र की स्थापना, क्रियान्वयन व व्यवस्थापन को राष्ट्रीय स्तर पर सुगम बनाएगी व समन्वित करेगी। यह तन्त्र राज्य सरकारों, पंचायत राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों तक विकसित करना होगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, जो कि निजी क्षेत्रों से आते हैं वे भी इसकी परिधि में आएँगे। सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य सम्बद्ध शाखाएँ जैसे महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय व कल्याण इत्यादि भी इस तन्त्र के निर्माण में भागीदार रहेंगे। यह तन्त्र इस अधिनियम के व्यवहार रूप में लागू होने के 6 माह में अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। यह तन्त्र स्थानीय स्तरों पर भी पूरी मजबूती से सक्रिय किया जाएगा। इसमें हर स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं व सेवाओं से संबंधित सूचनाएँ संग्रहित रहेंगी। इसके संग्रहित आंकड़ों को सभी को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

25. शासकीय निगरानी :–

- इसके अन्तर्गत सालाना वित्तीय अंकेक्षण जो कि सी.ए.जी. व चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व अन्य विशेष ऑडिट टीम द्वारा कराया जाएगा। यह अंकेक्षण प्रत्येक राज्य में एक या अधिक शोध व स्त्रोत संगठनों की देखरेख में होगा।
- शासकीय व निजी स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों व सेवा प्रदाताओं के चिकित्सकीय रिकार्ड की अनिवार्य ऑडिटिंग भी की जाएगी।
- माँ एवं बच्चों की मृत्यु एवं अन्य अस्वाभाविक मृत्यु के कारणों की अनिवार्य जाँच हेतु एक तन्त्र बनाया जाएगा जिसकी सीमा में सभी शासकीय व निजी स्वास्थ्य तंत्र शामिल किए जाएंगे।
- भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों का प्रदर्शन किया जाना हर शासकीय व अशासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में अनिवार्य होगा।
- प्रमुख स्वास्थ्य मानकों को जाँचने व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों की प्रभावशीलता को समझने हेतु तन्त्र विकसित किया जाएगा।

26. समुदाय आधारित निगरानी का ढाँचा :–

केन्द्र व राज्य सरकारें स्वास्थ्य बोर्ड की सलाह से समुदाय आधारित निगरानी के ढाँचों को खड़ा करने के लिए नियम बनाएंगी ताकि समुदाय के प्रति स्वास्थ्य तन्त्र की सीधी जवाबदेही तय की जा सके। इस हेतु कई प्रतिक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। जिनमें विभिन्न स्तरों पर बनने वाली समितियां भी शामिल हैं। इस निगरानी तन्त्र में पंचायत राज संस्थाओं एवं सदस्यता आधारित संगठनों को तरजीह दी जाएगी।

अध्याय – 5

<u>स्वास्थ्य के अधिकारों से संबंधित विवादों का निपटारा तथा क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया</u>

27. **जन संवादों व जन सुनवाईयों द्वारा विवादों का निपटारा – इसकी प्रक्रिया में निम्न रणनीति शामिल है :–**

स्वास्थ्य जन सुनवाईयों के आयोजन, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, विकासखण्डों तथा जिला स्तरों पर साल में दो बार किए जाएँगे। साथ ही राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर वर्ष में एक बार यह जन सुनवाईयाँ आयोजित होंगी। यह सभी नागरिकों व संगठनों के लिए खुली जन सुनवाई होगी।

28. **स्वास्थ्य जन सुनवाईयों के मुद्दे :–**

स्वास्थ्य जन सुनवाईयाँ सही मंच साबित होंगी जहां निम्नलिखित व कई अन्य प्रकार के मुद्दों को केस अध्ययनों के साथ व्यक्तिगत व सांगठनिक स्तरों से प्रस्तुत किया जा सकता है।

- अस्तित्वमान स्वास्थ्य तन्त्र को लेकर एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के विषय में लोगों का सही व गलत रूख।
- स्वास्थ्य सेवाओं के नकार के मुद्दों से जुड़े विशिष्ट अनुभव
- स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित अधोसंरचना, स्टाफ व सेवाओं की उपलब्धता, स्वीकार्यता एवं उनकी पहुँच से जुड़े स्तरों की प्रस्तुति।
- वंचित एवं संवेदनशील व्यक्तियों/ समूहों के स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में आ रही समस्यायें।
- स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार हेतु सुझाव तथा समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा में सहभागिता इत्यादि।

29. **स्वास्थ्य जन सुनवाईयों के परिणाम व फालोअप –**

दोनों पक्षों की सुनने के उपरान्त स्वास्थ्य जन सुनवाई का पैनल मुद्दों को रिकार्ड करेगा तथा जहां तक संभव होगा, तुरन्त ही आवश्यक अनुशंसाऐं करेगा। यह स्वास्थ्य सुरक्षा के नकार या स्वास्थ्य अधिकारेां के हनन के बारे में होगा। साथ ही फालोअप की गतिविधियां भी सुझाई जायेंगी। यह सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जन सुनवाईयां शांतिपूर्ण ढंग से परिणामदायक हों।

30. **संस्थागत स्तर पर क्षतिपूर्ति हेतु इन–हाउस (आन्तरिक) शिकायत मंचों का गठन –**

यह स्वास्थ्य सेवा तन्त्र में कर्मियों की शिकायतों के एवज में क्षतिपूर्ति एवं उनके विवादों के आन्तरिक निपटारों की व्यवस्था है। इसमें बिना किसी पूर्वग्रहों के उपरोक्त वर्णित अधिकारों व अन्य के हनन को प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा उठाया जा सकता है। खासकर जब कि

उपयोगकर्ता ने किसी ऐसी स्वास्थ्य प्रदाता संस्था से उपचार लिया हो जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में उसके प्रमुख व निजी स्वास्थ्य संस्थान के प्रमुख के सामने क्षतिपूर्ति के मसले लाए जा सकते हैं। इन दोनों ही स्तरों पर एक "इन–हाउस शिकायत मंच" का गठन होगा जिसमें स्वास्थ्य संस्थान के साथ–साथ समान संख्या में बाहर के स्वतंत्र सदस्य भी होंगे जो कि नागर समाज संगठनों इत्यादि से रहेंगे। इन संस्थाओं में एक वरिष्ठ व्यक्ति को शिकायत अधिकारी भी बनाया जाएगा। इस शिकायत मंच में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को तय करना होगा व इससे संबद्ध अन्य मुद्दों को भी तय करना होगा।

यदि मंच इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि पाई गई शिकायत सही है तो वह संस्थागत व व्यक्तिगत स्तरों पर दुरूस्त करने के कदम उठाएगा, शिकायतकर्ता की सहायता करेगा व दोषी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेगा।

इसके साथ–साथ शिकायत अधिकारी शिकायतकर्ता को उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराएगा। इनको वह संस्थान की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करेगा तथा प्रत्येक 6 माह में सरकार को इस तरह की शिकायतों के बारे में व उठाए गए कदमों के बारे में सूचित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में निर्णयपूर्ण गोपनीयता बरती जाएगी।

31. निर्दिष्ट जिला न्यायालय के समक्ष स्वास्थ्य से सम्बद्ध शिकायतों पर कार्यवाही –

स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के उपयोगकर्ता (या उनसे सम्बद्ध व्यक्ति व संगठन) राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट जिला न्यायालयों में स्वास्थ्य के अधिकारों के हनन व नकार की शिकायतें लेकर जा सकते हैं। शिकायतकर्ता उसी जिले में न्यायालय में जा सकते हैं जहां के संस्थान व स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से इलाज लिया हो। इसमें जिन सेवाओं की ग्यारंटी है यदि वे न प्रदान की गई हों, आपातकालीन उपचार के लिए मना किया गया हो; दोषपूर्ण व गुणवत्ताविहीन सेवा दी गई हो; उपचार के दौरान अपर्याप्त रूप से सुविधाएँ दी गई हो; स्वास्थ्य सुरक्षा से सम्बद्ध स्टाफ अनुपस्थित रहा हो, इत्यादि शिकायतों को जिला न्यायालयों के समक्ष भी रखा जा सकता है।

32. सुधार के उपाय –

निर्दिष्ट जिला न्यायालयों के आदेश – शिकायकर्ता का पक्ष सही पाए जाने पर निर्दिष्ट जिला न्यायालय राज्यों व केन्द्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति हेतु आदेशित करेंगे। इसके साथ–साथ नियमों व प्रक्रियाओं में बदलाव हेतु भी आदेशित किया जा सकेगा। साथ ही न्यायालय अपने द्वारा दिए गए आदेशों के कारण बताने हेतु संक्षिप्त आदेश जारी कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर न्यायालय शिकायत की तर्कसंगतता के आधार पर नए दिशा निर्देश भी दे

सकता है। इनके अतिरिक्त वेबसाईट पर सूचना देना, बिना अभिभाषक के शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय में प्रक्रिया प्रारंभ करना, इत्यादि कानूनी प्रावधानों के रूप में सुधार के उपाय सुझाए गए हैं।

33. **न्यायालयों के वित्तीय आदेशों का पालन कराना –**

इनके अन्तर्गत भूराजस्व से बकाया की वसूली; निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा बीमा का व्यवस्थापन; तथा स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति कोष द्वारा न्यायालयों के वित्तीय आदेशों का पालन कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में सरकारें तथा निजी संस्थाएँ सहयोग करेंगी।

अध्याय – 6

अवशिष्ट अपराध, जुर्माना तथा निरापदता

34. **आपराधिक जुर्माने –**

इस तरह के जुर्माने उन मामलों में किए जा सकेंगे जहाँ किसी नियम को तोड़ा–मरोड़ा गया हो, अधिकारों का हनन किया गया हो इत्यादि। इस स्थिति में 10 हजार रूपये तक का जुर्माना या 3 माह की सजा या दोनों हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जुर्माने को दोगुना भी किया जा सकता है। इसके साथ–साथ आदेश को लागू कराए जाने की सांविधिक सीमा भी होगी जो घटना के होने से दो वर्ष तक की होगी। यह भी प्रावधान है कि यदि आदेशों की अवमानना होती है तो उसे अलहदा जुर्म माना जाएगा।

35. **निरापदता –**

यह दो प्रकार की होंगी – 1. राज्य निरापदता तथा 2. व्यक्तिगत निरापदता

अध्याय – 7

अन्य मुद्दे

36. **नियम, नियमन, विधान बनाने व आदेश जारी करने की शक्ति –**

इस हेतु केन्द्र व राज्य सरकारें अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत हैं।

37. **स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कानूनों से संबंध '–**

इनमें प्रमुख हैं एकरूपता जो कि सभी राज्यों में नियमों कानूनों की समानता के संदर्भ में है। इसके साथ–साथ राज्य के अपने कानूनों के संबंध में भी यह कहा गया है कि उन्हें भी इस अधिनियम के अन्तर्गत समान महत्व दिया जाएगा तथा यदि इसके प्रावधानों व राज्य व अन्य कानूनों के मध्य कुछ संशय या टकराव की स्थिति बनेगी तो इसी अधिनियम के प्रावधानों को मान्य किया जाएगा। सरकार यदि चाहे तो उनकी समीक्षा करवा सकती है। आवश्यकता

समझी जाने पर स्वास्थ्य से सम्बद्ध किसी कानूनी प्रावधान को इस अधिनियम के अन्तर्गत वापस भी लिया जा सकता है।

38. रिपोर्ट तथा प्रभावी आँकड़ों को लेना –

सरकार प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले इस अधिनियम के क्रियान्वयन की रिपोर्ट लेगी। इस हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री अधिकृत हैं। इसमें इस अधिनियम की जमीनी स्थिति व इससे जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी होगी। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी। यह अधिनियम उस तिथि से लागू माना जाएगा जबसे इसकी अधिसूचना गजट में प्रकाशित होगी।

अध्याय – 8

वित्तीय ज्ञापन

इसे अभी निर्मित किया जाना है –

इनके साथ साथ इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिल में निम्न तीन अनुसूचियां भी संलग्न हैं

(1) स्वास्थ्य अधिकारों की सुरक्षा, सम्मान व उनकी उपलब्धता हेतु राज्यों के दायित्व।

(2) नियम/नियमन/विधान। (इसे अभी निर्मित किया जाना है।)

(3) स्वास्थ्य व उसके निर्धारकों से सम्बद्ध उन कानूनों व अधिनियमों की लम्बी सूची जो वर्तमान में व्यवहार में हैं।